मेरठ विकास प्राधिकरण

की

53वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 5—11—96

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 5-11-96

समय : 3-30 बजे (अपरान्ह)

स्थान : आयुक्त सभाकक्ष

उपस्थिति :

1-	श्री एच०एल०बिरदी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री ए०पी०सिंह	प्रमुख सचिव, आवास, उ०प्र० शासन ।	सदस्य
3-	श्री दीपक सिंघल	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री राजीव कुमार	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
5-	श्री आर०पी०त्यागी	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।	सदस्य
6-	श्रीमती प्रीति शुक्ला	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर ।	सदस्य
7-	श्री एल०एल० गोयल	अधिशासी अभियन्ता-जलनिगम,मेरठ	सदस्य
8-	श्री शैलेन्द्र चौधरी	अपर मुख्य नगर अधि०, नगर निगम, मेरठ ।	सदस्य
9-	श्री एम०पी०अनेजा	वरिष्ठ नियोजक, उ०प्र० शासन, लखनऊ । (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
10-	श्री एन०एन०थपलियाल	संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ ।	सदस्य
11-	श्री सुशील	सहायक प्रबन्ध, उद्योग, मेरठ ।	सदस्य
12-	श्री आर०पी०सिंह	उप आवास आयुक्त, उ०प्र०आवास विकास परिषद, मेरठ ।	सदस्य

बैठक में मदवार निम्न निर्णय लिये गये ।

मद संख्या - 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 2-8-96 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गयी ।

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनाँक 2-8-96 के कार्यवृत्त के मद संख्या-2 पर अंकित निम्न अंश "प्रमुख सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन

श्री ए०पी०सिंह ने निर्देश दिये कि भविष्य मे बोर्ड बैठक में अनुपालन आख्या के पश्चात प्राधिकरण की वित्तीय बर्ष कीप्रगति विवरण/आख्या भी रखी जाये।"

उक्त अंश में यह संशोधन किया गया कि यह निर्णय प्राधिकरण बोर्ड का था। इसी के अनुसार कार्यवृत्त संशोधित कर लिया जाये।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 2-8-96 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या से प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया।

मद संख्या - 3

निजी निर्माताओं/प्रोत्साहकों को आवासीय कालोनी विकसित करने हेतु बल्क भूमि आबंटित किये जाने के नियम, शर्त व दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

मेरठ विकास प्राधिकरण के पास बल्क में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बाबजूद भी इसका अब तक निस्तारण न हो पाना चिन्ता का बिषय पाया गया। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की शताब्दी नगर, वेदव्यासपुरी व लोहिया नगर योजनाओं में बल्क में भी आबंटन के लिये 1363 एकड भूमि उपलब्ध है एवं इनके निस्तारण के पूर्व में प्रयास किये गये परन्तु अभी सफलता नहीं मिली है। भूमि का विक्रय/निसतारण न होने के कारण प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। अतएव आवासीय बल्क भूमि के आबंटन की योजना को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 2-8-96 के मद संख्या - 17 पर अनुमोदित योजना में प्रशनगत प्रस्ताव के अनुसार परिवर्तन करते हुए प्रस्ताव के साथ पृष्ठ सं०-20 से 37 तक संलग्न बल्क भूमि आबंटन के नियम व शर्तो का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार अन्य बातों के अलावा यदि आबंटी टैण्डर स्वीकृति की तिथि के 30 दिन के अन्दर भूमि के कुल मूल्य का एकमुश्त भुगतान करता है तो आबंटी को कुल भूमि के मूल्य

पर 20 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्राविधान है । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारम्भ में उपरोक्तानुसार अनुमोदित योजना के अनुसार प्राधिकरण के पास कुल उपलब्ध बल्क भूमि में से 400 एकड बल्क भूमि के आबंटन की योजना प्रकाशित की जाये ।

बल्क भूमि के आबंटन दर निर्धारित किये जाने के बिषय पर विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्यों का यह मत था कि अभी जबकि प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी, शताब्दी नगर एवं लोहिया नगर योजनाओं में बल्क भूमि का आबंटन/विक्रय नहीं हो पा रहा है । इसके कारण इन योजनाओं में विकास की गति धीमी है एवं ये आबाद नहीं हो पा रही है । एक बार जब इन योजनाओं की कुल बल्क भूमि के कुछ अंश पर प्रतिष्ठित बिल्डर्स/डवलपर्स भूमि क्रय करके आवासीय कालोनी विकसित करना प्रारम्भ कर देंगे तो इन्हीं योजनाओं की शेष भूमि की विक्रय क्षमता एवं विक्रय दर पर अनुकूल प्रभाव पडेगा । प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रवेश से इन योजनाओं को पर्याप्त प्रचार भी मिलेगा क्योंकि ये संस्थायें अपने स्त्रोतों से इन योजनाओं को अच्छे तरीके से प्रचारित करेंगे । इससे इन योजनाओं में विकास की रफतार में तेजी आयेगी । इसे दृष्टिगत रखते हुए सदस्यों का मत था कि प्रारम्भ में इन योजनाओं में बल्क भूमि का विक्रय दर ऐसा रखा जाये जिसमें कि अधिक से अधिक संख्या में प्रतिष्ठित बिल्डर्स/डवलपर्स भूमि प्राप्त करने के लिये आकृषित हों एवं इनके मध्यम पारदर्शी एवं स्वस्थ कम्पटीशन कराके बल्क भूमि आबंटित की जाये । जब एक बार बल्क भूमि का आबंटन प्रारम्भ हो जायेगा तो ये योजनायें अधिक आकर्षक होनी प्रारम्भ हो जायेगी एवं इनके विकास में तेजी आयेगी । इनके फलस्वरुप भविष्य में विक्रय की जाने वाली भूमि की दर में वृद्धि सम्भवित है एवं इससे प्राधिकरण को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी इसे दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण की लोहिया नगर, वेदव्यासपुरी एवं शताब्दी नगर योजनाओं के लिये रॉ लैण्ड कास्ट रु०175/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी । इसके अतिरिक्त बाहय विकास शुल्क के रुप में रु० 80/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित किया गया । यह धनराशि प्राधिकरण द्वारा योजना में किये गये बाहय विकास के अनुसार बढाया भी जा सकता है ।

मद संख्या - 4

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर (एक्सटेंशन) आवासीय योजना हेतु ग्राम अब्दुल्लापुर में 219.89 एकड भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रशनगत प्रस्ताव पर गहन परीक्षण करने के निर्देश दिये गये एवं अधिग्रहण से प्रभावित खातेदरों की सूची सम्बन्धित के क्षेत्रफल का ब्यौरा भी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्णय लिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण प्रशनगत बल्क भूमि में आधे-आधे हैक्टेयर के फार्म हाऊस की योजना तैयार करें एवं प्रशनगत बल्क भूमि को फार्म हाऊस की योजना बनाकर के विक्रय/आबंटन के प्रयास किये जायें।

मद संख्या - 5

डिफैन्स एन्क्लेब आवासीय योजना के पाकेट - बी में सामान्य से अधिक गहरे भूखण्डों में मिट्टी भराव हेतु आबंटियों को रिबेट दिये जाने के सम्बन्ध में।

मिट्टी भराव कार्य के लिये प्राधिकरण बोर्ड की 2-8-96 की बोर्ड बैठक के अनुपूरक मद सं०-5 पर कुल 8.78 लाख रुपये की छूट आबंटियों को उनके आबंटन मूल्य में दिये जाने का निर्णय लिया गया था यदि इससे डिफैन्स एन्क्लेब आवासीय योजना के आबंटी मिट्टी भराव का कार्य नहीं करते हैं तो इस धनराशि में प्रस्ताव के अनुसार वृद्धि करते हुए अर्थात कुल 14.78 लाख की धनराशि से मिट्टी भराव का कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वयं किया जाये। प्राधिकरण द्वारा मिट्टी भराव किये जाने से जहाँ एक ओर एक समान रुप से सभी भूखण्डों की भराई होगी वहीं दूसरी ओर मिट्टी भराव के लिये आबंटियों द्वारा प्राधिकरण से दुबारा भुगतान प्राप्त करने की सम्भावना भी समाप्त हो जायेगी।

मद संख्या -6

वित्तीय बर्ष 1996-97 में दिनाँक 30-3-96 तक की वित्तीय प्रगति।

प्राधिकरण की बर्ष 1996-97 में दिनाँक 30-9-96 तक की प्रगति समीक्षा के दौरान कम उपलब्धि प्राप्त किये जाने पर चिन्ता व्यक्त की गयी। शमन शुल्क के रुप में बर्ष 1996-97 में 25.00 करोड की आय प्रस्तावित है। इसके विपरीत अब तक रु० 12.85 लाख की आय प्राप्त हुई हैं इसमें वृद्धि करने के लिये दीपावली के बाद जिला प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत निर्माणों के ध्वस्तीकरण हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान से जहाँ एक ओर अनाधिकृत निर्माण की गतिविधियाँ रुकेगी वहीं दूसरी ओर शमन शुल्क के रुप में प्राप्त होने वाली आय में भी बढोत्तरी होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनाँक 2-8-96 के मद संख्या-16 पर लिये गये निर्णय के अनुसार अनाधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाये एवं इसके लिये एक अभियान चलाया जाये। इसके लिये प्रारम्भ में दो कालोनियों का चयन कर इनके नियमितीकरण की कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 1

प्राधिकरण की पल्लवपुरम, श्रद्धापुरी, डिफैन्स एन्क्लेब तथा सैनिक बिहार योजनाओं के लिये अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर धनराशि के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन एस० एल० पी० के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अवलोकित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन एस० एल० के सम्बन्ध में समुचित एवं प्रभावी पैरवी सुनिशिचित की जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 2

मेरठ जनपद में हवाई पटटी के निर्माण हेतु प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना के ग्राम काशी कंचनपुर घोपला व गगोल में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 3

ग्राम रामपुर पावटी, बागपत रोड, मेरठ में लगभग 11.711 हैक्टेयर भूमि पर "डिग्री कालेज" के निर्माण हेतु मेरठ महायोजना में निर्दिष्ट "कृषि हरित पटटी" भूउपयोग से "शैक्षिक संस्था" भूउपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 4

साँई छाँव संस्था के लिये साँई मन्दिर के निर्माण हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार गंगानगर योजना में मवाना मार्ग पर प्रस्तावित व्यवसायिक योजना में मवाना रोड पर प्रस्तावित व्यवसायिक प्रयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड सं०- सी/1/1 व सी/2/2 के पृष्ठ भाग में सी-1/3, सी 1/4 तथा सी-1/5 को सम्मिलित करते हुए साँई छाँव संस्था के निर्माण हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आबंटित किया जाये। आबंटन की दर गंगानगर आवासीय योजना के लिये निर्धारित सैक्टर दर रु० 850/- प्रति वर्गमीटर का 25 प्रतिशत अर्थात 212.50 प्रति वर्गमीटर निर्धारित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 5

वेदव्यासपुरी योजना में मेडीकल कालेज की स्थापना हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों का यह मत था कि वेदव्यासपुरी योजना में मेडीकल कालेज की

स्थापना होने से वेदव्यासपुरी योजना के विकास पर अनुकूल प्रभाव पडेगा। वर्तमान समय में इस योजना में कोई आवासीय कालोनी विकसित नहीं है। मेडीकल कालेज की स्थापना होने से इस योजना में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में तेजी आयेगी। इसे दृष्टिगत रखते हुए सुभारती के०के०बी० चैरेटेबिल ट्रस्ट को वेदव्यासपुरी योजना में 55 एकड भूमि का भूउपयोग मेरठ महायोजना-2001 में "आवासीय से "शैक्षिक संस्था" परिवर्तित करते हुए 225/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ भूमि आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

1- अन्तरिम आबंटन की सूचना दिये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर कुल भूमि मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि संस्था द्वारा प्राधिकरण में जमा करनी होगी। 10 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

2- यदि उपरोक्त क्रमांक-1 के अनुसार निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा कर दी जाती है तो संस्था को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन भूमि आबंटित की जायेगी :-

क- संस्था को आबंटन का आफर जारी होने के एक बर्ष के अन्दर कुल भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि जो पूर्व में जमा धनराशि के अतिरिक्त होगी, जमा करनी होगी।

ख- संस्था द्वारा अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 6 बार्षिक किश्तों में जमा करनी होगी।

ग- पहली बार्षिक किश्त आबंटन-पत्र/आफर जारी होने की तिथि से दो बर्ष के अन्दर देय होगी।

घ- आबंटन ऑफर जारी होने की तिथि से भूमि मूल्य के सापेक्ष देय अवशेष धनराशि पर 21 प्रतिशत बार्षिक ब्याज दर आरोपित किया जायेगा तथा समय से भुगतान करने पर 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी

च- सम्बन्धित संस्था को बाहय विकास के रुप में केवल एक बिन्दु पर लिंक रोड की सुविधा दी जायेगी एवं जब वेदव्यासपुरी योजना में ड्रेन का कार्य पूर्ण हो जायेगा तो एक बिन्दु पर ड्रेन का लिंक दिया जायेगा। संस्था द्वारा मेडीकल कालेज के लिये जल की आवश्यकता की पूर्ति अन्डर ग्राउन्ड वाटर

से की जायेगी एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अपने व्यय पर सब स्टेशन बनाकर उर्जा प्राप्त की जायेगी ।

छ- वेदव्यासपुरी योजना के बाहय विकास पर मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में जो व्यय किया जायेगा उसका समानुपातिक अंश आबंटन ऑफर जारी होने के तीन बर्ष के उपरान्त संस्था द्वारा देय होगा ।

ज- उक्त आबंटन दर में निम्न कारणों से भूमि अधिग्रहण की दरों में वृद्धि होने पर बढी हुई दर आबंटी द्वारा देय होगी ।

1- यदि सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण की धारा-18 या अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढायी जाती है या

2- यदि सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर की राशि उपरोक्तानुसार बढाने के पश्चात भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-28 ए के तहत भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा सम्बन्धित नोटिफकेशन से सम्बद्ध अन्य कृषकों की दरें बढाये जाने की स्थिति में या

3- प्रदेश सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण की दरें बढाये जाने पर ।

झ- उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि के कुल मूल्य का 12 प्रतिशत धनराशि बतौर फ्रीहोल्ड चार्जेज संस्था द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व प्राधिकरण में जमा करनी होगी ।

अनुपूरक मद संख्या - 6

श्रीमती तुलसी सक्सैना को शताब्दी नगर आवासीय योजना, सैक्टर-1 में आबंटित भवन सं० बी-99 की जमा धनराशि रु० 1,38,879.00 वापस किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार श्रीमती तुलसी सक्सैना को शताब्दी नगर आवासीय योजना, सैक्टर-1 में आबंटित भवन सं०- बी-19 के लिये अब तक जमा धनराशि रु० 1,38,879.00 को बिना किसी कटौती के वापस किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अनुपूरक मद संख्या - 7

श्री अतुल कुमार माहेश्वरी को शताब्दी नगर आवासीय योजना के सैक्टर-2 के आबंटित भूखण्ड सं०- ए-27 की किश्तों पर बिलम्ब अवधि का दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव में आरोपित धनराशि रु० 10,979.00 एवं चौकीदारा शुल्क रु० 4200.00 न लिये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक मद संख्या - **8**

श्रीमती दुलारी देवी माहेश्वरी को शताब्दी नगर योजना सैक्टर-2 में आबंटित भूखण्ड सं०- ए-26 की किश्तों पर बिलम्ब अवधि का दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव में दण्ड ब्याज के रुप में आरोपित धनराशि रु० 10,129.00 एवं चौकीदारा शुल्क रु० 4200.00 न लिये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 9

श्रीमती राधा बन्सल एवं श्री प्रदीप कुमार गुप्ता आदि द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं०- 552/96 एवं 482/96 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अपने स्तर से मनोरंजन एवं क्षेत्रीय पार्क हेतु आरक्षित क्षेत्र की औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए इस तथ्य का परीक्षण कर ले कि इस हेतु आरक्षित भूमि के कौन-कौन से अंश का भूउपयोग औद्योगिक के लिये परिवर्तन किया जाना उपयुक्त होगा।

अनुपूरक मद संख्या - 10

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के कारण वित्तीय भार के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अभिनिर्णीत दर पर अवशेष देय 11.67 करोड रुपये की धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी को कियाजाये जिससे कि कृषकों

को यह धनराशि प्राप्त हो सके । इसके अतिरिक्त जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्णय की दरों में जो वृद्धि की गयी है उसके फलस्वरुप प्राधिकरण के ऊपर देय डिक्रीटल धनराशि का भी विस्तार से परीक्षण कर लिया जाये एवं जहाँ कहीं भी माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्णय की दर में वृद्धि की गयी है इसमें प्राधिकरण अपने हितों को देखते हुए माननीय न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त करने एवं अभिनिर्णय के दर में कमी करने हेतु अपील की जाये ।

अनुपूरक मद संख्या - 11

मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा शताब्दी नगर में निर्मित किये जा रहे 372 आवासीय भवनों के सम्बन्ध में ।

मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा शताब्दी नगर योजना में 372 आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है । प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 2-8-96 अनुपूरक मद संख्या-4 पर मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा शताब्दी नगर योजना में 372 भवनों के निर्माण मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया था । प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि "इस बिषय पर निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं श्री एम० पी० अनेजा, वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, लखनऊ की एक समिति गठित की जाये । यह समिति निर्णय लेने के लिये सक्षम होगी ।" प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार इस समिति द्वारा मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा० लि० के द्वारा की गयी एक्सक्लेशन की माँग को अस्वीकृत किया गया । इसके उपरान्त मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा० लि० के द्वारा की गयी एक्सक्लेशन की माँग को अस्वीकृत किया गया। इसके उपरान्त मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा अपने पत्र दिनाँक 31-10-96 जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित है, के द्वारा निर्माणाधीन 372 आवासीय भवनों के सम्बन्ध में एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रुप से मैसर्स

अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा०लि० द्वारा निर्माणाधीन 372 आवासीय भवनों में से अब तक प्राधिकरण द्वारा आबंटित 120 आवासीय भवनों को छोडकर शेष 252 भवनों को बाई बैक किये जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अवशेष आवासीय भवनों के विक्रय में कठिनाई आ रही है अतएव यदि मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा०लि० अवशेष आवासीय भवनों को बाई बैक करके अपने नियम, शर्तो एवं दरों पर बेचना चाहते हैं तो इससे अवशेष आवासीय भवनों का एक मुश्त निस्तारण हो जायेगा एवं मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा०लि० द्वारा जो अतिरिक्त सुविधायें विकसित की जायेंगी उससे शताब्दी नगर योजना के विकास पर भी अनुकूल प्रभाव पडेगा ।

पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा०लि० के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनाँक 31-10-96 पर निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ मण्डल, मेरठ की एक समिति गठित की गयी ।

अनुपूरक मद संख्या - 12

वेदव्यासपुरी योजना में मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लि० को 180 एकड भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

मद संख्या - 3 पर आवासीय भूमि आबंटन के लिये नियम, शर्तो एवं दरों का निधार्रण किया गया है । इसमें बल्क भूमि का आबंटन टैन्डर के द्वारा किया जाना है । इसे देखते हुए वेदव्यासपुरी योजना में मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लि० को 180 एकड भूमि आबंटित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया । मैसर्स अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लि० मद संख्या - 3 के अनुसार प्रकाशित योजना में नियमानुसार आवेदन कर सकते है ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

प्राधिकरण की स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स योजनामें उद्यमियों को पूर्व के बर्षो में भूमि आबंटित की गयी थी । उद्यमियों के अनुसार योजना में समय से विकास कार्य न होने के कारण उनके द्वारा कब्जा नहीं लिया गया एवं आबंटियों द्वारा किश्तों का भुगतान भी समय से नहीं किया गया है । समय-समय पर उद्यमियों द्वारा जिला उद्योग बन्धू की बैठक में किश्तों पर देय ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने का आग्रह किया जाता रहा हैं इसे दृष्टिगत रखते हुए स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स योजना में आबंटित भूखण्डों से सम्बन्धित उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिये आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया । सदस्य के रुप में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ रहेंगे । यह समिति उद्यमियों के द्वारा नहीं दी गयी किश्तों के ऊपर आरोपित ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये सक्षम होगी ।

अन्त में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिये अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया तथा उपस्थित सभी सदस्यों के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया ।

ह०/-
सचिव
विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।

ह०/-
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।

ह०/-
अध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।